4/47
8/4/22

फर्द अहकाम

[नियम 26]

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, अलवर मुकाम अलवर

किस्म मुकदमा साकिर खान बनाम मोहम्मद इलियास सन् 2022

ता0 हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म तामील में जारी हुए
08.04.2022	वकील वादी ने वाद अंतर्गत धारा 88, 89, 92क, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया। दावा दर्ज रजिस्टर हों। वकील वादी ने प्रार्थना–पत्र 212 पर अस्थाई निषेधाज्ञा का निवेदन किया। वकील प्रार्थी/वादी की बहस सुनी। वकील वादी ने बहस में अपना कथन किया कि आराजी हाल खसरा नं0 1560 रकबा 0.38 है0, 1576 रकबा 0.10 है0 वाके ग्राम चिकानी की मूल खातेदार मुल्कराज थे। मुल्कराज के देहान्त के बाद विवादित आराजी मुल्कराज के वारिसान के नाम दर्ज हुई। मुल्कराज के वारिसान से विवादित आराजी श्री राजकुमार गुर्जर ने जरिये इकरारनामा क्रय की। श्री राजकुमार गुर्जर से वादी ने जरिये इकरारनामा प्रसंगत आराजी क्रय कर काबिज व दखिल हुए। विवादित आराजी के तरफ उत्तर में खसरा नं0 1561 हैं। जो राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा मेगा हाईवे के निर्माण की चौडाई 200 फुट तय की हैं। सडक के मध्य से एक तरफ 100 फुट वास्ते प्लॉटेंशन/वृक्षारोपण के लिए भूमिधारक को छोडी हुई हैं। खसरा नं0 1253 जो खसरा नं0 1561 के तरफ उत्तर में स्थित हैं, मेगा हाईवे का विस्तार होने पर खसरा नं0 1561 की भूमि मेगा हाईवे में आ जाती हैं। इस प्रकार खसरा नं0 1561 का कोई अंश व हिस्सा मौके पर शेष नही बचता हैं। खसरा नं0 1561 का अप्रार्थीगण के नाम गलत इन्द्राज हैं। वकील वादी/प्रार्थी ने खसरा नं0 1561 पर स्थगन आदेश का कथन किया। हमनें वकील प्रार्थी/वादी की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। वकील वादी/प्रार्थी नें मौजूदा वाद धारा 88, 89, 92क के साथ 188 राज0काश्त0 अधि0 के अंतर्गत इकरारनामा के आधार पर प्रस्तुत किया हैं। धारा 188 के अंतर्गत वाद वही खातेदार ला सकता हैं जो कि रिकॉर्डेड खातेदार हो। वाद के साथ सलंग्न जमाबंदी संवत 2072–2074 ग्राम चिकानी खसरा नं0 1561 का वादी खातेदार नहीं हैं। ना ही वादी खसरा नं0 1560, 1576 का ही रिकॉर्डेड खातेदार हैं। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद इकरारनामा के आधार पर पेश किया हैं। इकरारनामा के आधार पर इस	

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

न्यायालय द्वारा वादी को कोई अनुतोष दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता हैं। वादी यदि इकरारनामा के आधार पर किसी भी प्रकार का अनुतोष चाहता हैं तो उसके लिए वादी सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर अनुतोष प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र है। मौजूदा वाद एवं प्रार्थना पत्र 212 राज० काश्त० अधिनियम पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज किया जाता हैं। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद पूर्ति जमा लेख भण्डार हो।

उपखण्ड अधिकारी
अलवर